भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5331

25 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

उचित दर की दुकानों में लगे हुए ई-पीओएस उपकरण

5331. श्री जगदम्बिका पाल:
कैप्टन बृजेश चौटा:
श्री तेजस्वी सूर्या:
श्री लुम्बाराम चौधरी:
श्री दामोदर अग्रवाल:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री दिलीप शइकीया:
डॉ. मन्ना लाल रावत:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्रीमती कमलेश जांगड़े:
श्रीमती संजना जाटव:
श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्री रोडमल नागर:
श्री बिभु प्रसाद तराई:
श्री माधवनेनी रघुनंदन राव:
श्री पी. पी. चौधरी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सभी उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) में जिलावार, विशेषकर भरतपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के जिलों में और कर्नाटक के दक्षिण कन्नड में इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरण लगाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में, विशेषकर राजस्थान और पाली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में आधार-आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली से एकीकृत उचित मूल्य की दुकानों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार राज्यों में, विशेषकर छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) लेनदेन की निगरानी के लिए कोई तात्कालिक डैशबोर्ड संचालित करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) कर्नाटक और दक्षिण कन्नड़ सहित देश में डिजिटलीकरण के बाद दोहराव या अपात्रता के कारण रद्द किए गए राशन कार्डों की संख्या कितनी है;

(ड.) क्या सरकार का देश में, विशेषकर महाराष्ट्र के पालघर जैसे जनजाति बहुल जिलों में लक्षित लाभ सुनिश्चित करने के लिए पीडीएस डेटाबेस को अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ एकीकृत करने का विचार है; और

...2/-

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): देश भर में 5.51 लाख उचित दर दुकानों (एफपीएस) में से 5.50 लाख से अधिक अर्थात 99.8% दुकानों को ई-पीओएस उपकरण स्थापित करके स्वचालित किया गया है ताकि लाभार्थियों के आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा सके। इसके अतिरिक्त, ई-पीओएस उपकरणों से जुड़ी उचित दर दुकानों (एफपीएस) की स्थिति निम्नानुसार है:

- **राजस्थान-** 27263 एफपीएसमें से 24,910 एफपीएस
 - भरतपुर - 1018 एफपीएस में से 976 एफपीएस
 - पाली - 808 एफपीएस में से 755 एफपीएस
- **उत्तर प्रदेश** - 73138 एफपीएस में से 73127 एफपीएस
- **कर्नाटक** - 20862 एफपीएस में से 20481 एफपीएस
 - दक्षिण कन्नड़ - 476 एफपीएस में से 474 एफपीएस

(ग): यह विभाग केंद्रीय डैशबोर्ड अर्थात आईएम-पीडीएस पोर्टल (impds.nic.in) के माध्यम से ओएनओआरसी प्रचालन और मासिक पीडीएस लेनदेन की निरंतर निगरानी कर रहा है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (छत्तीसगढ़ राज्य सहित) में होने वाले पोर्टेबिलिटी के साथ-साथ सामान्य पीडीएस लेनदेन के बारे में अद्यतन जानकारी/रिपोर्ट प्रदान करता है।

(घ): टीपीडीएस प्रचालनों जैसे राशन कार्ड/लाभार्थी डाटाबेस का डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग, डुप्लिकेशन हटाने की प्रक्रिया, अपात्र अभिलेखों की पहचान, मृत्यु, लाभार्थियों का स्थायी प्रवासन आदि में प्रौद्योगिकी के उपयोग के परिणामस्वरूप, वर्ष 2025 में कर्नाटक राज्य (दक्षिण कन्नड़ सहित) में कुल 50,594 राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2025 के लिए देश में रद्द किए गए राशन कार्डों की संख्या दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ड.) और (च): वर्तमान में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) डाटाबेस को अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ एकीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तथापि, विभाग ने पारदर्शिता बढ़ाने, डाटा की सटीकता में सुधार करने और राष्ट्रीय कल्याण योजना (एनएफएस) के तहत लाभार्थियों को उचित प्रकार से लक्षित करने के लिए, पीडीएस डाटाबेस को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के डाटाबेस के साथ एकीकृत करने का कार्य शुरू किया है। इसमें आयकर विभाग (सीबीडीटी), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच), कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए), जीएसटी (सीबीआईसी) और यूआईडीएआई आदि संस्थाओं के साथ डाटा साझा करना और उसका सत्यापन करना शामिल है।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 25 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 5331 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2025 में रद्द किए गए राशन कार्डों की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रद्द किए गए राशन कार्डों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	102
2	अंडमान और निकोबार	50,681
3	अरुणाचल प्रदेश	1,128
4	असम	24,381
5	बिहार	1,49,043
6	चंडीगढ़	2,401
7	छत्तीसगढ	60,496
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	1,101
9	दिल्ली	11,438
10	गोवा	3,467
11	गुजरात	69,102
12	हरियाणा	13,43,474
13	हिमाचल प्रदेश	7,400
14	जम्मू और कश्मीर	3,036
15	झारखंड	67,730
16	कर्नाटक	50,594
17	केरल	7,261
18	लद्दाख	764
19	लक्षद्वीप	32
20	मध्य प्रदेश	260,285
21	महाराष्ट्र	1,33,469
22	मणिपुर	6,515
23	मेघालय	102
24	मिजोरम	742
25	नागालैंड	1,347
26	ओडिशा	1,21,134
27	पुद्दुचेरी	763
28	पंजाब	2,290
29	राजस्थान	6,05,826
30	सिक्किम	2,116
31	तमिलनाडु	33,339
32	तेलंगाना	1,40,947
33	त्रिपुरा	4,334
34	उत्तर प्रदेश	5,97,012
35	उत्तराखंड	3,014
36	पश्चिम बंगाल	3,74,519
	सकल योग	**41,41,385**
